न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:34 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

अपील संख्या 2020/00035 (2020)

ख्यालीराम पुत्र श्रवण जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर, हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. गोपाल पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर, तहसील नोहर।

—असल रेस्पोडेण्ट

4. मीरा पुत्री श्रवण जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. माडी देवी पुत्री श्रवण जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. गोरा देवी पुत्री श्रवण जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
7. विद्या देवी पुत्री श्रवण जाति मेधववाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

——तरतीबी रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 225 आरटीएक्ट

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नोहर दिनांक 12.02.2020 प्र. सं. 346/2012

अनवान जगदीश बनाम ख्यालीराम आदि

उपस्थितः—

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री हवा सिह पूनियॉ अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ता 2

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 स0 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 22.09.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा नं0 70 मीन की 10 बीघा, 105 मीन की 30.00 बीघा कुल 40 बीघा भूमि भानीराम पुत्र नानकराम जाति जाट खातेदार काश्तकार था। भानीराम ने जरिये बैयनामा 25.06.1964 को साबिका खसरा नं0 105 मीन की 30.00 बीघा भूमि गुगनराम पुत्र चन्दरूराम को बैय कर दी तथा गुगनराम पुत्र चन्दरूराम ने जरिये बैयनामा दिनांक 27.07.1965 को साबिका खसरा नं0 105 मीन की 30.00 बीघा भूमि वादीगण को बैय कर दी। रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा नं0 105 की 30 बीघा भूमि पैमाईश में हाल खसरा नं0 369 की 25.18 बीघा, 366 की 5.00 बीघा में परिवर्तित हो चुकी है।

2. विवादित भूमि हाल खसरा नं0 369 की 25.18 बीघा भूमि तो वादीगण के नाम सही तौर से दर्ज कर दी लेकिन खसरा नं0 366 मीन की 5.00 बीघा भूमि श्रवण पुत्र मघाराम जाति मेघवाल साकिन कानसर के नाम से दर्ज कर दी खसरा नं. 366 की 5.00 बीघा भूम बिना किसी आधार के प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता श्रवण के नाम दर्ज कर दी गई। इसलिए वादीगण 5.00 बीघा भूमि को प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन करवाकर अपने नाम बहिब दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण ने प्रश्नगत भूमि का वादीगण को ब.हिब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकाड्ड में अमल दरामद करने एवं मृतक श्रवण पुत्र मघाराम कौम मेघवाल साकिन कानसर का नाम कलमजन करने तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के खिलाफ रहन बैय ना करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा।

3. प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश कियाकि खसरा नं. 366 का मिलान क्षेत्रफल, नक्शा पेश नहीं किया रोही मौजा कानसर के खसरा नं. 366 मीन की 5.00 बीघा भूमि सदामत से प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है इसके अलग सींव बनाई हुई है। प्रतिवादीगण के पिता को दिनांक 26.09.1968 को साबिका खसरा नं. 117 की 24.09 बीघा भूमि अलॉट हुई थी जो राजस्व रिकार्ड में श्रवण पुत्र मघाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादीगण का पिता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसे किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। खसरा नं. 366 बहुत बड़ा है इसमें बहुत से काश्तकार है इसलिए वादी ने अन्य काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया, वादी ने 30.18 बीघा होना बताया है जबकि पूर्व में 30 बीघा बता रहे हैं। वादी ने वाद बेवजह परेशान करने के लिए पेश किया है जो खारिज किया जावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर कुल 4 तनकीयात कायम की और वाद एवं जवाब दावा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

5. अपील में अपीलण्ट के अधिवक्ता द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ता 7 का नाम तर्क करने का निवेदन करने पर इन्हें तर्क किया गया। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि विवादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट के पिता को दिनांक 29.06.1968 को आवंटनशुदा थी एवं उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि हाल ख0 नं0 366 मीन की 19 बीघा 10 बिस्वा ख0 नं0 1222 की 4 बीघा 10 बिस्वा कुल 24 बीघा में परिवर्तित एवं पैमूद हो चुकी थी। अपीलाण्ट के पिता का आवंटित भूमि पर कब्जा व काश्त निर्बाध गति से चला आ रहा है। भूमि के खातेदारी अधिकार मिल चुके थे। सैटलमेंट विभाग द्वारा अपीलांट के पिता के नाम भूमि दर्ज कर दी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात व सबूत पर कोई विश्लेषण नही किया तथा अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री मनमाना व स्वेच्छारी है। अलॉटमेंट आदेश व मिलान क्षेत्रफल को न मानने का कोई कारण नहीं था। ख0 नं0 366 बहुत बड़ा तथा इसमें बहुत से काश्तकार थे एवं वादीगण ने यह बिना साबित किये तथा अन्य काश्तकारों को फरीक नहीं बनाया। वादीगण के कथनानुसार ख0 नं0 366 की 5 बीघा व ख0 नं0 105 मीन की 30 बीघा कुल 30 बीघा 18 बिस्वा भूमि होना बताया है जबकि यह भूमि पूर्व में 30 बीघा बता रहे थे। वादग्रस्त भूमि अलॉटमेंट होने के बाद समस्त किश्तें जमा करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये हैं खातेदारी सभी तथ्यों की जॉच कर अपीलाण्ट के पिता को दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:34 IST
Reason: SelfAttested

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन कियाकि विवादित भूमि हाल खसरा नं0 369 की 25.18 बीघा भूमि तो वादीगण के नाम सही तौर से दर्ज कर दी लेकिन खसरा नं. 366 मीन की 5.00 बीघा भूमि श्रवण पुत्र मघाराम जाति मेघवाल साकिन कोहला के नाम से दर्ज कर दी खसरा नं. 366 की 5.00 बीघा भूम बिना किसी आधार के प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता श्रवण के नाम दर्ज कर दी गई। इसलिए वादीगण 5.00 बीघा भूमि की प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन करवाकर अपने नाम बहिब दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि उनके पूर्वज श्रवण कुमार को कोनसे खसरा में कितनी भूमि आवंटन हुई थी जबकि वादीगण के बैयनामा के आधार पर वाद को साबित किया है, मिलान क्षेत्रफल से साबित किया है। भूमि वर्तमान में श्रवणकुमार के नाम से होने से अपीलाण्ट वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर कभी भी रहन बैय या अन्य प्रकार से स्थानान्तरित कर सकत है जिससे विवाद बढेगा। अपीलाण्ट ने कोई आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे साबित हो कि प्रश्नगत भूमि उन्हें आवटित हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलधीन निणय पारित किया है जो विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

8. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

10. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 का अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद था। वाद का आधार यह था कि प्रश्नगत भूमि उनके द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 25.06.1964 एवं 27.07.1965 खरीदशुदा है। अपीलाण्ट का यह तर्क है कि प्रश्नगत भूमि उनके पिता श्रवण कुमार को आवंटन हुई थी। रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की फौटो प्रति पत्रावली में उपलब्ध है जिससे यह साबित होता है कि प्रश्नगत भूमि उनके द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वज श्रवण को आवंटित हुई। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने भु0 प्रबन्ध विभाग के पश्चात् के दस्तावेज पेश किये जबकि विवाद भू प्रबन्ध विभाग से पूर्व का है का ऐसा कोई दस्तावेज अपीलाण्ट ने पेश किया है जिससे यह साबित हो कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:34 IST
Reason: SelfAttested

भू0 प्रबन्ध विभाग से पूर्व श्रवण कुमार को कितनी भूमि आवंटन की गई थी। जबकि अपीलाण्ट ने बैयनामे अपने वाद को साबित किया है। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में अपीलाण्ट के पूर्वज श्रवण के नाम दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है ऐसे में प्रश्गनत भूमि प्रतिवादीगण अपने नाम दर्ज करवा कर कभी भी रहन बैय या अन्य प्रकार से स्थानान्तरण कर सकते है जिससे रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 के हितों पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपील स्तर पर भी प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना समुचित हो। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2020 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/9/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 2020/00035 (35/2020)
ख्यालीराम पुत्र श्रवण जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर, हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:34 IST
Reason: SelfAttested

1. जगदीश पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. गोपाल पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर, तहसील नोहर।

—असल रेस्पोडेण्ट

4. मीरा पुत्री श्रवण जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. माडी देवी पुत्री श्रवण जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. गोरा देवी पुत्री श्रवण जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
7. विद्या देवी पुत्री श्रवण जाति मेधववाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

——तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नोहर दिनांक 12.02.2020 प्र. सं. 346/2012
अनवान जगदीश बनाम ख्यालीराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अभिभाषक अपीलार्थी, श्री हवा सिंह पूनियॉ अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ता 2, श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 स0 3 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2020 यथावत रखा जाता है। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख... 22.09.21 को जारी की गई।

24.9.21

(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ